1. In the court of Abhishek K. Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
A.B.P. No. 1729/2026, dt. 24.04.2026, Prahalad Sah & three others. Vrs. State of Bihar.

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश,

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1729 / 2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. प्रहलाद साह वल्द हुलास साह उम्र 41 वर्ष
2. नन्दु साह वल्द कैलास साह उम्र 52 वर्ष
3. आनन्दी साह वल्द कैलास साह उम्र 38 वर्ष
4. जगी देवी पति प्रहलाद साह उम्र 38 वर्ष

ग्राम– बॉसघाट टोला, हसनपुरवा, वार्ड नं0–11, थाना–चकिया, जिला– पूर्वी चम्पारण.....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार..... विपक्षी।

आवेदकगण की ओर से :– श्री मनोज कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

अभियोजन की ओर से :–श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक।

आदेश

24.04.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक / अभियुक्तगण प्रहलाद साह, नन्दु साह, आनन्दी साह एवं जगी देवी की ओर से चकिया थाना कांड संख्या–152 / 2025, विचारण वाद संख्या– 3194 / 2025, धारा– 126(2), 115(2), 110, 352, 351(2) / 3(5) बी.एन.एस. में अपनी गिरफतारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

अभियोजन के अनुसार सूचिका चम्पा देवी के दरवाजा पर प्रहलाद साह, नंदू साह, आनन्दी साह, कंचन कुमारी, जगी देवी पहुँच गए। प्रहलाद साह बच्चो के झगड़े के कारण बॉस के मुंगड़ी से उसके सर पर मारा जिससे सर फट गया, नन्दु साह उसके गले से सोने का सिकड़ी छीन लिया, आनन्दी साह उसका ब्लाउज फाड़ दिया, जग्गी देवी लात मुक्का से उसे मारने लगी। कंचन कुमार उसके घर में घुस कर वर्तन एवं सलेंडर लेकर भाग गयी।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2 में कहा गया है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 2481 / 2025 दाखिल किया था, जो निस्तारित किया जा चुका है। इसके सिवाय कोई अन्य अग्रिम / नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय पटना उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा कंडिका–

3 में कहा गया है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने आरोपित घटना को कारित नहीं किया है, उन्हें गलत नियत से इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। आवेदकगण को धारा– 35(3) बी.एन.एस.एस. का लाभ मिल चुका है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया ।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया। कांड दैनिकी की कंडिका– 17 में सूचिका चम्पा देवी का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी को कारित जख्म को कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का बताया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका–35 के अनुसार आवेदकगण को धारा– 35 (3) बी.एन.एस.एस. का लाभ मिल चुका है। कांड दैनिकी की कंडिका–37 के अनुसार आवेदकगण के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा आवेदकगण के विरूद्ध संज्ञान लिया जा चुका है। कांड दैनिकी की कंडिका– 20 के अनुसार आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना अंकित है। कांड दैनिकी की कंडिका– 8, 9 एवं 10 के साक्षियों द्वारा आभूषण छीनने की बात नहीं कहा गया है। उभय पक्षों के बीच पलटा मुकदमा चकिया थाना कांड संख्या– 151/2025 चल रहा है। आवेदकगण का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन बिना गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण प्रहलाद साह, नन्दु साह, आनन्दी साह एवं जगी देवी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में आत्मसर्मपण/गिरफ्तारी की दशा में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद प्रद समाधान पर धारा– 482 (2) बी.एन.एस.एस. के शर्तो के अधीन इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण विचारण में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–

सत्र न्यायाधीश
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी,
दिनांक –24.04.2026